संख्या– 326 /xv–1/1(5)/2006

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, गोपेश्वर, चमोली।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 05 जून 2008

विषय :– चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राज्य सैक्टर योजनाओं में धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–12/नि0/आय व्ययक/2008–09 दिनांक 1 अप्रैल, 2008 एवं शासनादेश संख्या–204/xv–1/1(5)/2006 दिनांक 7 अप्रैल, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुदान संख्या–28 के अर्न्तगत पशुपालन विभाग में गठित बोर्डो यथा पशुकल्याण बोर्ड और उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के अवधनबद्ध मदों हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रुपया 2.00 लाख एवं रुपया 0.50 लाख कुल धनराशि **रुपया 2.50 लाख (रुपया दो लाख पचास हजार मात्र)** की धनराशि निम्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन पर प्रादिष्ठ किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :–

आयोजनागत (धनराशि लाख रुपये में)

लेखाशीर्षक	योजना का कोड एवं नाम	मद संख्या	निर्गत धनराशि
मुख्य लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन आयोजनागत–00–001–निदेशन तथा प्रशासन	04–पशुकल्याण एवं गौ सेवा (राज्य सैक्टर)	42–अन्य व्यय	2.00
योग :–			2.00
2403–पशुपालन–00–104–भेड़ तथा ऊन विकास	03–उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड (राज्य सैक्टर)	42–अन्य व्यय	0.50
योग :–			0.50
महायोग :–			2.50

(रुपया दो लाख पचास हजार मात्र)

(1) धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये मितव्ययता सम्बन्धी निर्देशों का पालन अवश्य किया जाय।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23 जनवरी, 2008 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

(3) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(4) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय वित्त हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों, क्रय सम्बन्धी शासनादेशों का पालन कर किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

2— उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत उक्तानुसार उल्लिखित लेखाशीर्षक के सुसंगत मानक मदों के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–88(P)/XXVII–4/2008 दिनांक 22 मई, 2008 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या– 326 (1)/XV–1/2007–तददिनांकित

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त को प्रमुख सचिव एवं आयुक्त महोदया के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. महालेखाकार उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून।
5. सचिव, पशुकल्याण परिषद, देहरादून।
6. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून।
7. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
12. वित्त अनुभाग–4।
13. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।